फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती तुलसी बाई बनाम विपक्षी : श्री कालूलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 79/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 को पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1, 2 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा बड़गांव पटवार हल्का बडगांव हाल तहसील भीण्डर की परिशिष्ट (क) की आराजी न. 573, 574, 575, 653/1, 653/2, 654, 662/3, 1319, 1474, 659 मी. रकबा 2 बिघा 3 बिरवा भूमि प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 1 एवं शांतिलाल पिता बद्रीलाल जाट सा. देह के नाम अंकित हैं। परिशिष्ट (ख) की आराजी नं. 567 रकबा 5 बिरवा भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं शांतिलाल पिता बद्रीलाल, मांगीबाई बेवा बद्रीलाल के नाम 3/8 हिस्से से अंकित हैं। परिशिष्ट (ग) की आराजी न. 1305/1 रकबा 6 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं शांतिलाल पिता बद्रीलाल, मांगीबाई बेवा बद्रीलाल के नाम 1/2 हिस्से से अंकित हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा कब्जा हो उपयोग उपभोग होने के उपरान्त भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हड़पने व बेदखल करने के नियत से मौके पर लडाई झगडा करने पर उतारू हैं तथा हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि की परिशिष्ट (क) में प्रार्थीया खातेदार हैं जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि परिशिष्ट (ख) व (ग) में प्रार्थीया खातेदार नहीं हैं जिससे प्रार्थीया का हित केवल परिशिष्ट (क) की आराजी तक ही सीमित हैं। प्रार्थीया द्वारा मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया हैं। परिशिष्ट (ख) व (ग) में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। प्रार्थीया द्वारा कथन कहा की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में से विपक्षी प्रार्थीया का बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीया प्रार्थनाग्रस्त भूमि की परिशिष्ट (क) की भूमि की खातेदार हैं जिससे प्रार्थीया का हित निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन बिन्दु भी आंशिक रूप से प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु आंशिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2050–53 की परिशिष्ट (क) की आराजी नम्बर 573, 574, 575, 653/1, 653/2, 654, 662/3, 1319, 1474, 659 मी. कुल किता 10 रकबा 54 बिघा 1 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:50 IST
Reason: SelfAttested